3

amending Notification No. 225/86-Central Excise, dated the 3rd April, exempting Monoethylene Glycol falling under sub-heading No. 2905. 90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule, together with an Explanatory Memorandum thereon. TPlaced In Library. See No. JLT-4450/87]

- I. Accounts (1985-86) of the Banaras < Hindu University (Volumes I and II) and related papers.
- II. Report and Accounts (1985-86) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi and related papers.

HI. Statement giving reasons for not laving the Report (1985 86) of tHe Aligarh Muslim University within the stipulated period.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा ग्रौर संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : श्रीमन् मैं, निम्न-लिखित पत्नों की एक-एक प्रति (ग्रंग्रेजी स्था हिन्दी में) सभा पटल पर खती हं---

- (i) (क) 1985-86 के दर्भ के लिए बनारस हिन्द विश्वविद्यालय के वार्षिकः लेखे (खण्ड I तथा II) तथा उन १र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (硒) 3597 (可) Ŧí उल्लाखत को सभा पटल पर रखने में हए विलम्ब के कारणों को देशनि विवरण । पुस्तवालय में उखी गई।) (क) और (ख) के लिये देखिये सं० एल० टी०4428/87]।
- (ii) (वः) 1985-86 के वर्ष के लिए उच्च तिब्बती ग्रध्यदन संस्थान, वाराणसी का नवा वार्षिक प्रतिवेदन
- (ख) 1985-86 के वर्ष के लिए केन्द्रीः उच्च तिब्बसी शह्ययन संस्थान,

बाराणसी के धार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिबेदन ।

- (ग) सस्यान के कार्यवारण की सन्कार द्वान समीक्षा।
- (घ) ऊपर (क) अर्थ उल्लिखित पत्नों का सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के वारणों को दशनि वाला विवरण । पुन्तकालय में रखी गई। (क) से (घ) के लिये देखिए सं ० एलं ० टी ०-4465/87]
- (iii) 1985-86 के धर्ष के लिए अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाचिक प्रतिवेदन को निर्धारित अवधि के भीतर समा पटल पर न रखे जाने के बारणों को दर्शाण बाला विवरण (अंग्रेजी तवा हिन्दी में)। पुस्तवालय में रखी गई) । देखिय सं० एल ०टी ०-4466/87]

Notifications of the Ministry of Steel and **Mines (Department of Mines)**

THE MINISTER OF STATE THE DEPARTMENT OF MINES IN MINISTRY OF STEEL. AND MINES (SHRIMATI ' RAM DULARI SINHA): Sir, I. beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 28 of the Mines -and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Minstry of Steel and Mines (Department of Mines): —

- 1. S. O. No. 445(E), dated" the 23th April, 1987, directing that the powers exercisable under clause (b) ' of section 5 (2) of the Act shall also be exercised by the Con-frolle'r General, Chief Controller of Mines, Controller of Mines and the Regional Controller of Mines ' of Indian Bureau of Mines. [Placed in Library. See No. LT-4467/87]
 - 2. S. O. No. 446(E). dated the 28th April. 1987, authorising all the State Governments and. Union Territory Administrations to exercise powers vested in Central G